राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(4)न्याय/2022 जयपुर दिनांक 07.06.2022

::अधिसूचना::

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम सं. 6) की धारा 17 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालयों पर स्थापित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (जहां मुख्यालय पर एक से अधिक अपर जिला एवं सत्र न्यायालय है, वहां अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या 1) को एवं विशिष्ठ न्यायालय, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) प्रतापगढ (जहां एक भी अपर जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित नहीं है) को उक्त अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों की सुनवाई हेतु संबंधित न्यायक्षेत्र की क्षेत्रीय सीमाओं में अधिकारिता वाले न्यायालय अभिहित/विनिर्दिष्ट (**designate**) करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

7.6.22

(प्रवीर भटनागर)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. समस्त जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान सरकार।
9. महानिदेशक, आरसी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

7.6.22

(अंकित रमन)

संयुक्त शासन सचिव